प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री न्यायाधीश राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री न्यायाधीश सुनील कुमार सिन्हा

दांडिक अपील क्रमांक 1606 / 1994

कल्लू एवं अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ

सही /-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायाधीशराजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

सही /-

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 05/05/2011 को सूचीबद्ध करें ।

सही /-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : **माननीय श्री न्यायाधीशराजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं**

माननीय श्री न्यायाधीशसुनील कुमार सिन्हा

दांडिक अपील क्रमांक 1606 / 1994

अपीलकर्तागण 1. कल्लू, आयु लगभग 40 वर्ष, पिता दयाराम यादव

2. मंगलू, आयु लगभग 25 वर्ष, पिता बुधराम यादव

दोनों निवासी – ग्राम बहेरामुड़ा, थाना कोटा, जिला

बिलासपुर, म.प्र. (वर्तमान में छत्तीसगढ़)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थीगण मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थिति : श्रीमती रेणु कोचर, अधिवक्ता – अपीलकर्ताओं की ओर से।

श्री जमील अख्तर लोहानी, पैनल अधिवक्ता – राज्य की ओर से।

निर्णय (05.05.2011)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **माननीय श्री न्यायाधीश सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा दिया गया :—

(1) यह अपील सत्र प्रकरण क्रमांक 103/94 में तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 1994 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा

अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है तथा उन्हें आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं :—

दिनांक 21.02.1993 को सुबह मृतक की पत्नी इतवारा बाई (अ. सा. -1) के साथ अपीलकर्ता-कल्लू की पत्नी एवं पुत्री द्वारा इस बहाने मारपीट की गई कि मृतक-अंगद ने बाजार में अपीलकर्ता-कल्लू पर हमला करने का प्रयास किया था। इतवारा बाई (अ. सा. -1) ने अपने पति (मृतक-अंगद) को बुलाया तथा दोनों ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्णय लिया। दोपहर के समय, इतवारा बाई (अ. सा. -1), मृतक-अंगद तथा संतोष अपने गांव से थाना बेलगहना जाने के लिए निकले। इतवारा बाई (अ. सा. -1) एवं संतोष साइकिल से गए तथा अंगद पैदल गया। वस्तुतः अंगद उनके साथ नहीं गया। जब इतवारा बाई (अ. सा. -1) एवं संतोष बेलगहना में अंगद की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी चुन्नीलाल (अ. सा. -11) वहां आया और उसने सूचना दी कि अपीलकर्ता-कल्लू एवं एक अन्य व्यक्ति द्वारा अंगद (मृतक) के साथ मारपीट की गई है और वह ग्राम भाठापारा में पड़ा हुआ है। इसी दौरान किसी प्रकार राजू (अ. सा. -10) वहां पहुंचा। इतवारा बाई (अ. सा. -1) ने उसे अपने पति को देखने के लिए भेजा। राजू (अ. सा. -10) घटना-स्थल पर गया और देखा कि अंगद घायल अवस्था में पड़ा हुआ था तथा “कल्लू-कल्लू” कहकर पुकार रहा था। उसने यह सारी जानकारी इतवारा बाई (अ. सा. -1) को दी। इस संबंध में पुलिस चौकी बेलगहना में सूचना दी गई, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) दर्ज की गई। जब वे घटना-स्थल पर पहुंचे, तब उन्होंने पाया कि अंगद की मृत्यु हो चुकी थी। उसके शरीर पर अनेक चोटें थीं। अगले दिन, अर्थात् दिनांक 22.02.1993 को, विवेचना अधिकारी द्वारा पंचों को सूचना (प्रदर्श-पी/18) दी गई तथा मृतक के शव का पंचनामा (प्रदर्श-पी/19) तैयार किया गया। मृतक के शव को शव-परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलगहना भेजा गया, जिसकी ज्ञापन प्रदर्श-पी/6 है। शव-परीक्षण परीक्षण डॉ. सुभाष घोसालकर (अ. सा. -6) द्वारा किया गया। उन्होंने मृतक के शरीर पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कुल 14 चोटें पाई, जो कि कुचले हुए घाव (कंट्यूजन), खरोंच (एब्रेशन) तथा फटे हुए घाव (लेसरेटेड वूंड्स) थीं। शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने यह मत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण सदमा एवं कोमा था, जो कि मृतक की खोपड़ी एवं शरीर के विभिन्न भागों पर अनेक चोटें थीं तथा मृत्यु की प्रकृति मानववाध थी। शव- परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श-पी/7 है।

अभियोजन पक्ष ने दो प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए। प्रथम, चक्षुदर्शी साक्ष्य — सरवन (अ. सा. -2), शिवनंदन तथा रतनलाल (अ. सा. -12) के कथन; तथा द्वितीय, राजू (अ. सा. -10) के समक्ष किया गया मौखिक मृत्युकालीन कथन। शिवनंदन का परीक्षण नहीं किया गया। सरवन (अ. सा. -2) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। अतः सत्र न्यायाधीश ने रतनलाल (अ. सा. -12) एवं राजू (अ. सा. -10) के कथनों पर विश्वास करते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध ठहराकर दण्डित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रेणु कोचर ने तर्क प्रस्तुत किया कि रतनलाल (अ. सा. -12) के साक्ष्य से यह स्थापित नहीं होता कि उसने वास्तव में घटना को देखा था; वह चक्षुदर्शी नहीं है। मौखिक मृत्युकालीन कथन के संबंध में उनका कहना था कि राजू (अ. सा. -10) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है तथा यह सिद्ध नहीं होता कि मृतक ने उसके समक्ष कोई मौखिक मृत्युकालीन कथन किया था।

(4) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री जमील अख्तर लोहानी ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया तथा सत्र न्यायालय द्वारा अभिलेखित निर्णय एवं निष्कर्षों का समर्थन किया।

(5) सत्र न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(6) रतनलाल (अ. सा. -12) ने अपने बयान में कहा कि घटना के दिन जब वह अपने घर पर उपस्थित था, तब उसने शोरगुल सुना। उसका भाई शिवनंदन तथा सरवन (अ. सा. -2) उस ओर दौड़ पड़े। चूंकि वह भोजन कर रहा था, कुछ समय पश्चात् वह भी उनके पीछे-पीछे चला। रास्ते में उसकी मुलाकात शिवनंदन तथा सरवन (अ. सा. -2) से हुई। वे घटना-स्थल से वापस आ रहे थे। उन्होंने बताया कि अपीलकर्ता-मंगलू एवं एक अन्य लड़के ने मृतक-अंगद के साथ मारपीट की है। उसने देखा कि अंगद भूमि पर पड़ा हुआ था। उसने आगे यह भी कहा कि उसने देखा कि मंगलू एवं एक अन्य व्यक्ति मृतक को सड़क से घसीटकर सड़क के किनारे फेंक रहे थे। वह अन्य व्यक्ति की पहचान नहीं कर सका। अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका-2 में उसने आगे कहा कि वास्तव में उसने देखा कि मंगलू एवं उसका मित्र लाठी से मृतक के साथ मारपीट कर रहे थे। रतनलाल (अ. सा. -12) का उसके केस-डायरी कथन (प्रदर्श-डी/3) से सामना कराया गया। उसके साक्ष्य में अनेक विरोधाभास पाए गए। प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि वह घटना-स्थल तक नहीं पहुँचा था, क्योंकि रास्ते में उसकी मुलाकात सरवन (अ. सा. -2) एवं शिवनंदन से हो गई थी, जिन्होंने उसे बताया कि मंगलू एवं एक अन्य व्यक्ति द्वारा मृतक के साथ मारपीट की गई है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपने घर से घटना देखी थी, किंतु वह हमलावरों की पहचान नहीं कर सका तथा घटना के संबंध में उसे जानकारी सरवन (अ. सा. -2) से मिली, जो घटना-स्थल से लौट रहा था। इस साक्षी के समस्त साक्ष्य के मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि वह कभी भी घटना-स्थल पर नहीं पहुँचा, जो उसके घर से कुछ दूरी पर था; उसने घटना अपने घर से देखी; वह हमलावरों की पहचान नहीं कर सका; तथा वस्तुतः रास्ते में सरवन (अ. सा. -2) द्वारा उसे बताया गया कि मंगलू एवं उसके एक मित्र ने मृतक के साथ मारपीट की है। सरवन (अ. सा. -2) ने अभियोजन के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मामले का समर्थन नहीं किया। शिवनंदन का परीक्षण नहीं किया गया। अतः रतनलाल (अ. सा. -12) का साक्ष्य दो अन्य साक्षियों के कथनों पर आधारित होने के कारण "अनुश्रुत " साक्ष्य होगा, जिनमें से एक का परीक्षण नहीं किया गया तथा दूसरे ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। हमारी राय में सत्र न्यायाधीश द्वारा रतनलाल (अ. सा. -12) के कथन पर उसे चक्षुदर्शी मानते हुए भरोसा करना त्रुटिपूर्ण है।

(7) अब हम मौखिक मृत्युकालीन कथन से संबंधित साक्ष्य पर विचार करेंगे।

(8) राजू (अ. सा. -10) ने बयान दिया कि जब वह घटना-स्थल पर पहुँचा, तब उसने देखा कि मृतक भूमि पर पड़ा हुआ था, उसे अनेक चोटें आई थीं। उसे पानी पिलाने के पश्चात् जब उसने पूछा कि चोटें किसने पहुँचाई, तब मृतक ने "कल्लू–कल्लू" कहा। इसके पश्चात् वह उस स्थान पर लौट गया, जहाँ मृतक की पत्नी उपस्थित थी। उसने उपर्युक्त सभी तथ्यों को मृतक की पत्नी को बताया तथा उसके साथ पुलिस चौकी जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जहाँ उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) दर्ज कराई गई। ऐसा प्रतीत होता है कि घटना के पश्चात् वह चुन्नीलाल (अ. सा. -11) तथा मृतक के अन्य परिजनों के साथ लल्ला महाराज के घर गया था और चुन्नीलाल ने लल्ला महाराज को घटना की जानकारी दी थी। चुन्नीलाल (अ. सा. -11) ने अभियुक्तों के नाम नहीं बताए। राजू (अ. सा. -10) का उक्त कथन पुलिस द्वारा प्रदर्श-डी/2 के रूप में दर्ज किया गया। राजू (अ. सा. -10) ने उक्त कथन से इन्कार किया तथा कहा कि चुन्नीलाल (अ. सा. -11) ने लल्ला महाराज को यह नहीं बताया था कि अंगद (मृतक) पर राउतों (एक विशेष जाति के लोग) द्वारा हमला किया गया था और यदि ऐसा कोई कथन पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है, तो वह गलत है तथा वह इसके लिए कोई कारण नहीं बता सका। चुन्नीलाल (अ. सा. -11) मृतक का पुत्र है। उसने स्वीकार किया कि राजू (अ. सा. -10) ने उसे बताया था कि उसके पिता ने उससे कहा था कि उस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पर अपीलकर्ता-कल्लू द्वारा हमला किया गया है। इसके पश्चात् वह लल्ला महाराज के पास गया तथा उसकी माता इतवारा बाई (अ. सा. -1) एवं राजू (अ. सा. -10) रिपोर्ट दर्ज कराने गए। उसने आगे यह भी स्वीकार किया कि वह लल्ला महाराज के पास गया था और उसे बताया था कि किसी ने उसके पिता के साथ मारपीट की है। यदि चुन्नीलाल (अ. सा. -11) को यह ज्ञात था कि उसके पिता पर कल्लू द्वारा हमला किया गया है, तो उसे लल्ला महाराज के समक्ष उसका नाम प्रकट करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। इससे पुलिस के समक्ष राजू (अ. सा. -10) द्वारा दिए गए कथन की पुष्टि होती है।

(9) प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) इतवारा बाई (अ. सा. -1) द्वारा चुन्नीलाल (अ. सा. -11) एवं राजू (अ. सा. -10) से समुचित विचार-विमर्श के पश्चात् दर्ज कराई गई। एफ.आई.आर. में उसने उल्लेख किया है कि राजू (अ. सा. -10) ने उसे बताया था कि उसका पति साइकिल पर लाने की स्थिति में नहीं था तथा वह "कल्लू–कल्लू" पुकार रहा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन का यह मामला नहीं था कि जब राजू (अ. सा. -10) ने मृतक से पूछा कि उसे किसने मारा है, तभी मृतक ने कल्लू का नाम लिया। एफ.आई.आर. (प्रदर्श-पी/1) के कथनों से प्रतीत होता है कि मृतक केवल कल्लू का नाम ले रहा था, किंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह उस पर कल्लू द्वारा किए गए हमले के संदर्भ में उसका नाम ले रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) डॉ. सुभाष घोसालकर (अ. सा. -6) ने मृतक के शरीर पर कुल 14 चोटें पाई थीं। उसकी बायीं पार्श्विका अस्थि में फ्रैक्चर पाया गया था। टूटी हुई अस्थि के कारण बाईं पार्श्विका लोब में चोट लगी थी, जिसके कारण रक्तस्राव हुआ तथा रक्त का थक्का बन गया, जिससे मृतक को कोमा की स्थिति उत्पन्न हुई और उसकी मृत्यु हो गई। मृतक को लगी अनेक गंभीर चोटों तथा फ्रैक्चर और टूटी हुई पार्श्विका अस्थि की स्थिति को देखते हुए, हमें इस बात पर संदेह है कि मृतक मृत्युकालीन कथन देने की स्थिति में था। **भगवान दास एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर.**

1957 एस.सी. 589 में, अभियोजन का यह आरोप था कि अभियुक्तों द्वारा कई बार गंभीर प्रहार किए जाने के कारण मृतक अचेत होकर गिर पड़ा था। पास के खेत में अपने ऊँट चरा रहा एक चक्षुदर्शी उसके पास गया और उस पर पानी छिड़का, जिससे मृतक को होश आया और तत्पश्चात् उसे थोड़ी दूरी पर स्थित खलिहान तक ले जाया गया, जहाँ उसने हमले के संबंध में 'जे' के समक्ष कथन किया। वहाँ से उसे पास के नगर में 'जी' की दुकान पर ले जाया गया, जहाँ उसने पुनः 'जी' के समक्ष कथन किया। अभियोजन ने अभियुक्तों को हत्या के अपराध में दोषसिद्ध कराने हेतु चक्षुदर्शी के साक्ष्य तथा 'जी' एवं 'जे' द्वारा सिद्ध किए गए मृत्युकालीन कथनों पर भरोसा किया। चिकित्सकीय साक्ष्य से यह पाया गया कि मृतक का चलने या बोलने की स्थिति में होना, जिससे वह मृत्युकालीन कथन कर सके, अत्यंत असंभाव्य था। इसके अतिरिक्त, 'जी' एवं 'जे' के कथनों में विभिन्न चरणों पर महत्वपूर्ण विरोधाभास पाए गए तथा चक्षुदर्शी का साक्ष्य भी अविश्वसनीय पाया गया। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ऐसी परिस्थितियों में 'जी' एवं 'जे' का साक्ष्य दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए एक ठोस आधार नहीं हो सकता, जब कि चक्षुदर्शी के साक्ष्य को भी एकमात्र चक्षुदर्शी के साक्ष्य को अविश्वसनीय मानकर अस्वीकार कर दिया गया। सामान्यतः जिस प्रकार के मृत्युकालीन कथन पर अभियोजन ने उक्त प्रकरण में भरोसा किया था, वह मात्र अपने बल पर हत्या के आरोप में दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) वर्तमान प्रकरण में, जैसा कि हमने ऊपर प्रतिपादित किया है, एकमात्र चक्षुदर्शी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। शव- परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/7) तथा चिकित्सक के साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात्, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मृतक राजू (अ. सा. -10) के समक्ष मौखिक मृत्युकालीन कथन देने की स्थिति में नहीं था। राजू (अ. सा. -10) द्वारा बताए गए तरीके से मृतक द्वारा कथित रूप से किया गया मौखिक मृत्युकालीन कथन, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) के कथनों से भी पुष्ट नहीं होता है। अतः सत्र न्यायाधीश द्वारा राजू (अ. सा. -10) के समक्ष मृतक द्वारा

कथित रूप से किए गए मौखिक मृत्युकालीन कथन पर भरोसा करना विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण था।

(12) उपर्युक्त कारणों के परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपीलकर्ताओं को दी गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश अपास्त किए जाते हैं। अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता-मंगलू को दिनांक 23.02.1993 को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनांक 11.10.1995 को उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। अपीलकर्ता-कल्लू को भी दिनांक 23.02.1993 को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनांक 10.10.2001 को उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। वर्तमान में वे जमानत पर हैं। उनकी बंधपत्र निरस्त किया जाता हैं तथा जमानतदारों को दायित्व से मुक्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

मुख्य न्यायाधीश

सही /-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नही किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।